

सहकारिता एवं प्रभारी मंत्री आज झुंझुनू में

झुंझुनू, 31 मई: जिले के प्रभारी एवं सहकारिता मंत्री परसादी लाल मीणा सोमवार की सायंकाल झुंझुनू आएंगे। जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने बताया कि प्रभारी मंत्री मंगलवार को प्रातः 10.30 बजे कलेक्ट्रेट सभा भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जिला सहायता समिति की बैठक में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे।

उन्होंने बताया कि बैठक में सूखा ग्रस्त कस्बों, गांवों एवं ढाणियों में पेयजल प्रबन्धन तथा टैंकों की व्यवस्था, नरेगा कार्यों में श्रमिकों के नियमित भुगतान की व्यवस्था, पशुओं के लिए चारे एवं पशु शिविरों, निःशक्त एवं बेसहारा लोगों को फूड स्टेम्प कूपन के माध्यम से गेहूं उपलब्ध कराने, राहत कार्यों पर नियोजित श्रमिकों को समय पर भुगतान करने और मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत बी.पी.एल. परिवारों को 2 रूपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराए गए गेहूं की विस्तृत समीक्षा भी करेंगे। बैठक में उचित मूल्य की दुकानों पर 15 से 21 मई तक वितरित किए गए गेहूं की उपलब्धता व गुणवत्ता तथा सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में वितरण व्यवस्था की समीक्षा भी की जाएगी।

मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं का समय पर क्रियान्वयन होना चाहिए

- गुप्ता

झुंझुनू, 31 मई: जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने सोमवार को यहां बिजली, पानी व मौसमी बीमारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर विशेष बल देते हुए कहा है कि विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन भी समय पर करें ताकि आमजन को उनका समय पर लाभ मिल सके।

उन्होंने चिकित्सा विभाग को पानी के क्लोरिनेशन की टेबलेट घर-घर वितरित कराने, पशु चिकित्सकों को पशुपालकों के घर पशुओं का उपचार करने पर वाजिब फीस लेने, जिला मुख्यालय सहित जिले के नगरीय क्षेत्रों में नाले-नालियों की वर्षा से पहले सफाई कराने, बिजली-पानी की बकाया शिकायतों का निस्तारण करने, जिला मुख्यालय के बी.डी.के. व जनाना अस्पताल में विद्युत कटौती के दौरान जनरेटर से विद्युत आपूर्ति करने, सांसद कोटे के पेयजल कार्यों के विद्युत कनेक्शन करने, फीडर सुधार कार्यक्रम पर विशेष बल देने और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकों द्वारा की जा रही पेयजल आपूर्ति का प्रमाणीकर संबंधित अधिशासी अभियन्ताओं एवं उपखण्ड अधिकारियों द्वारा करने के निर्देश भी संबंधित को दिए हैं।

बैठक में अपर कलेक्टर के.एल. मीणा ने टैंकर से पेयजल आपूर्ति के भुगतान, तोगड़ा कलां में आयुर्वेद चिकित्सक एवं ए.एन.एम. के अनुपस्थित रहने, जांच के दौरान अनुपस्थित पाए गए चिकित्सा कर्मियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सरकारी ए.एन.एम. द्वारा डिलीवरी के मामलों को निजी चिकित्सालयों में भिजवाने पर प्रतिबंध लगाने की हिदायत संबंधित अधिकारियों को दी है। बैठक में पी.एम.ओ. डॉ. हनुमान सिंह शेखावत, जलदाय एवं विद्युत विभाग के अधिसाशी अभियन्ता, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रताप सिंह दुतड़, पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉ. मुंशीराम श्योराण, नगर परिषद आयुक्त रामशरण जानू आदि अधिकारी उपस्थित थे।

.....2.....

फोटो पहचान पत्र से वंचित मतदाताओं की वीडियोग्राफी 6 जून से

झुंझुनूं, 31 मई: जिले के मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के फोटो पहचान पत्र से वंचित मतदाताओं की वीडियोग्राफी का कार्य ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में आगामी 6 जून से 15 जून तक करवाया जाएगा। मण्डावा विधान सभा क्षेत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं ए.सी.ई.ओ. जे.एन. मथूरिया ने बताया कि 6 जून को भारू, ककडेऊ खुर्द, डाबड़ी धीरसिंह व अलसीसर में, 7 को मलसीसर, गोखरी, टमकोर व खोहरी में, 8 को बिसाऊ नगरपालिका, टाई, महनसर व दिलोई में, 9 को हेतमसर, वाहिदपुरा, सीगड़ा व चन्द्रपुरा (ढूकियों का बास) में, 10 को मण्डावा नगरपालिका, कुहाडू, मोजास व मेहरादासी में, 11 को अजीतगढ़, चूड़ी चतरपुरा, नूआं व भोजासर में, 12 को गांगियासर, निराधनूं, ढीलसर व पातुसर में, 13 को लादूसर, लुटूर, कोदेसर व चन्दवा में, 14 को जाबासर, ढाणी चारण, बाडेट व ख्याली में तथा 15 जून को हंसासर, शेखसर, कुमास के राजकीय विद्यालयों में व ए.सी.ई.ओ. कार्यालय झुंझुनूं में इन क्षेत्रों के फोटो पहचान पत्र से वंचित रहे मतदाताओं की वीडियोग्राफी की जाएगी।

गौरव सेनानियों को स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने के निर्देश

झुंझुनूं, 31 मई: जिला मुख्यालय के सैनिक कल्याण कार्यालय परिसर में संचालित ई.सी.एच.एस. पॉलिक्लिनिक के माध्यम से चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए जिन गौरव सेनानियों एवं वीरांगनाओं ने स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए गत 31 दिसम्बर 09 तक अपने आवेदन पत्र जमा करवाए थे, उन सभी के स्मार्ट कार्ड बन गये हैं। वे अपने स्मार्ट कार्ड कार्यालय से प्राप्त करें। ई.सी.एच.एस. के प्रभारी मेजर हरचन्द राम यादव ने बताया कि वर्ष 2007 में 5 स्मार्ट कार्ड, 2008 में 275, 2009 में 146 तथा 2010 में 645 स्मार्ट कार्ड बने थे जिनमें से 65 स्मार्ट कार्ड पॉलिक्लिनिक में अभी भी लम्बे समय से रखे हुए हैं। सभी स्मार्ट कार्ड धारियों से आग्रह है कि वे जल्द से जल्द अपने स्मार्ट कार्ड कार्यालय से प्राप्त कर लेवें अन्यथा इन स्मार्ट के निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैनिक कल्याण कार्यालय में संचालित ई.सी.एच.एस. पॉलिक्लिनिक के कम्प्यूटर में हुई तकनीकी खराबी अब ठीक हो गई है। गौरव सेनानी अब स्मार्ट कार्डों के एक्टीवेशन का कार्य किसी भी कार्य दिवस को करवा सकेंगे।

ए.पी.एल. गेहूं का संशोधित आवंटन

झुंझुनूं, 31 मई: जिला रसद अधिकारी हरभजन सिंह ने एक आदेश जारी करके जिले के ए.पी.एल. परिवारों को माह अप्रैल से जुलाई तक आवंटित गेहूं में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आंशिक संशोधन करते हुए उप आवंटन किया है। उन्होंने बताया कि ए.पी.एल. परिवारों को अब 7 रूपये प्रति किलो की दर से 16 किलो गेहूं प्रत्येक कार्ड पर दिया जाएगा। उन्होंने ए.पी.एल. परिवारों के लिए अप्रैल के लिए 2265.22 मै. टन व मई, जून तथा जुलाई माह के लिए 1779.61 मै.टन प्रत्येक माह के लिए उप आवंटन किया है, जबकि आस्था परिवारों के लिए अप्रैल से जुलाई तक प्रत्येक माह के लिए 9.39 मै. टन गेहूं का आवंटन किया गया है। उन्होंने थोक विक्रेताओं को गेहूं का उठाव निर्धारित तिथि तक कर वितरित करने के निर्देश दिए हैं।

.....3.....

(3)

अतिवृष्टि एवं बाढ़ से बचाव का कन्टीजेन्सी प्लान जारी

झुंझुनूं, 31 मई: जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने एक परिपत्र जारी करके अतिवृष्टि एवं बाढ़ से बचाव के लिए चालू वर्ष का कन्टीजेन्सी प्लान जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को अतिवृष्टि के दौरान बचाव

एवं राहत कार्यों की सभी व्यवस्थाएं पूर्व में ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले के तहसीलवार नीचाई वाले क्षेत्रों की पहचान करके अतिवृष्टि के दौरान वहां बचाव की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश भी संबंधित को दिए हैं। जिला कलेक्टर ने सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, रसद, चिकित्सा, जलदाय, शिक्षा, नगर परिषद एवं नगरपालिकाओं, विद्युत, पुलिस, दूरसंचार, पशुपालन, डाक एवं तार विभाग सहित अन्य विभागों को अतिवृष्टि एवं बाढ़ के दौरान विशेष रूप से सजग और सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं।

मृतक के आश्रित को दो लाख रुपये कम्पनी अदा करे

झुंझुनूं, 31 मई: जिला उपभोक्ता मंच ने चिड़ावा तहसील की बोला की ढाणी के परिवारी बीरबलराम जाट व चावली देवी को उनके पुत्र सत्यप्रकाश की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण युनाईटेड इंडिया इन्शोयोरेन्स कम्पनी को बीमा क्लेम पेटे दो लाख रुपये प्रार्थना पत्र की दाखिल करने की तिथि से भुगतान अदायगी तक 9 प्रतिशत ब्याज सहित परिवारी को यह राशि दो माह में भुगतान करने को कहा है।

मंच के अध्यक्ष पी.एन. खण्डेलवाल, सदस्य बनवारी लाल व सदस्या श्रीमती मंजू चौहान ने यह निर्णय सोमवार (31 मई) को सुनाते हुए कम्पनी को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह परिवारीगण को मानसिक व शारीरिक संताप के लिए डेढ़ हजार रुपये व परिवार व्यय के एक हजार रुपये भी अदा करे। उल्लेखनीय है कि मृतक सत्यप्रकाश की सड़क दुर्घटना में दूसरे वाहन की टक्कर लगने से मई 2008 में मृत्यु हो गई थी। उस दौरान उनका वाहन वर्णित कम्पनी के यहां बीमित था।

मई में सेवानिवृत्त हुए 35 कर्मचारियों के अग्रिम अधिकार पत्र जारी

झुंझुनूं, 31 मई: राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले 35 राज्य कर्मचारियों के 74 लाख 49 हजार 96 रुपये के अग्रिम अधिकार पत्र जारी किए गए हैं। बीमा विभाग के उप निदेशक योगमित्र दिनकर ने बताया कि 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले जिन कर्मचारियों ने जी.पी.एफ. भुगतान के लिए अपने दावा पत्र भिजवाए थे, उनके अग्रिम अधिकार पत्र जारी कर दिए गए हैं और वे अपने अधिकार पत्र कार्यालय से प्राप्त कर लेवें ताकि वे अपना भुगतान प्राप्त कर सकें।
